REGD. NO. 4866

Phone : 91 - 11 - 29564198
91 - 11 - 29562318
91 - 11 - 29562316
E-mail : nfbprojects@gmail.com

NATIONAL FEDERATION OF THE BLIND
राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ

(AFFILIATED TO WORLD BLIND UNION)
PLOT NO. 21, SECTOR VI
M. B. ROAD, PUSHP VIHAR
NEW DELHI-110 017

(Donations made to this Federation will be eligible for tax relief under section 80-G of the Income Tax Act, 1961)

President:
Prof. Kusumlata Malik

Patron:
Vichitra Vijay

Vice-Presidents:
C. C. Kasimani
Dr. Divyata Garg (Women's Affairs)
Mahender Singh
Mohd. Imran Ali

General Secretary:
S. K. Rungta B.A., LLB., LL.M.

Secretaries:
Chandravir
Chandra Pal Mourya (Youth Affairs)
Navin Ahlawat
R. Viswanath Reddy.

Treasurer:
Syed Kazi Farooq Ali

Ref. No. एन.एफ.बी /जीबीएम (25)/2023/49 Dated दिनांक 10.02.2023

सेवा में,

राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के समस्त सदस्यगण

विषयः राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के नियमों के अनुच्छेद 17 (4) के अंन्तर्गत संघ की 26 वीं साधारण सभा तथा
चुनाव हेतु अधिसूचना

प्रिय साथियों !

मुझे आपको सूचित करते हुऐ हर्ष हो रहा है कि संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद् ने संघ के प्रधान कार्यालय में दिनांक 22.1.2023 को आहुत बैठक में संघ की 26वीं साधारण सभा की बैठक व संघ के पदाधिकारियों का निर्वाचन दिनांक 18.6.2023 को आयोजित करनें का निर्णय लिया है। अतः यह अधिसूचना संघ के उन सभी सदस्यों को प्रेषित कि जा रही है जो संघ के सदस्य के रूप में 2020–2021 में पंजीकृत थे और जिन्होंने संघ के नियम 6(1) व 6 (2) के अर्न्तगत अपनी सदस्यता का नवीनीकरण वित्तीय वर्ष 2022–2023 तक लगातार करवा लिया हैं।

साधारण सभा की कार्य सूची इस प्रकार हैः–

1. संघ की दिनांक 26.12.2021 को हुई साधारण सभा की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि–
2. पिछली कार्यवाही से सम्बन्धित विषय–
3. महासचिव द्वारा जनवरी 2022 से अप्रैल 2023 तक का संघ के प्रगति पत्र का प्रस्तुतिकरण और अनुमोदन।
4. संघ के 2021–2022 वित्तीय वर्ष का लेखा परीक्षण वक्तव्य का प्रस्तुतिकरण और अनुमोदन।

5. वर्ष 2023–2024, 2024.–2025, 2025–2026, 2026–2027 व 2027–2028 तक के लिये लेखा परीक्षक की नियुक्ति।
6. दिनांक 14.05.2023 तक सदस्यों से प्राप्त प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण व अनुमोदन।
7. दिनांक 14.05.2023 तक सदस्यों से प्राप्त प्रश्नों के उत्तर –
8. आगामी पाँच वर्षो के लिए संघ के पदाधिकारियों का निर्वाचन दिनांक 18.6.2023 को प्रातः 8.30 बजे से अपराहन 1 बजें तक होगा।
9. अन्य कोई विषय अध्यक्ष की अनुमति से–

संघ के नियमों के अनुच्छेद 18 (1) के अनुसार संबंधित राज्य के सदस्यों की भागीदारी के लिए प्रत्येक राज्य में कम से एक केंद्र को साधारण सभा की बैठक व निर्वाचन के स्थान के रूप में निर्धारित कर हाइब्रिड ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के माध्यम से आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। सभी निर्धारित राज्य केन्दों को जूम एप के माध्यम से जोड़कर साधारण सभा की बैठक आयोजित कि जायेगी। अध्यक्ष और महासचिव दिल्ली केंद्र से साधारण सभा की बैठक का संचालन करेंगे। साधारण सभा की बैठक अपराहनः 1:30 बजे से प्रारंभ होगी ।

साधारण सभा की बैठक व निर्वाचन के आयोजन के सम्बन्ध में राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद् की उक्त बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:–

(1) संघ के नियमों के अनुच्छेद 6(1) व 6 (2) के अर्न्तगत उन सभी सदस्यों को जो साधारण सभा में भाग लेने के योग्य हैं और जो साधारण सभा व निर्वाचन में इच्छुक हैं, को भाग लेने के लिए पंजीयन के साथ साथ अपनी सदस्यता के नवीनीकरण हेतु 100/रूपयें का सदस्यता नवीनीकरण शुल्क का भुगतान भी पंजीयन शुल्क के साथ दिनांक 14.05.2023 तक करना होगा। यहां यह स्पष्ट किया जाता हैं कि जो पात्र सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग लेने के इच्छुक नहीं हैं और अपना पंजीयन इस हेतु नहीं कराते वे अपनी सदस्यता के नवीनीकरण का शुल्क 30.6.2023 तक भुगतान कर अपनी सदस्यता का वर्ष 2023–2024 तक सदस्यता का नवीनीकरण कर सकेंगे।

(2) राष्ट्रीय कार्यालय द्वारा संबंधित राज्य के महासचिव के समन्वय से प्रत्येक राज्य केंद्र पर सभी व्यवस्थाएं करने के लिए एक टीम गठित की जाएगी।

(3) साधारण सभा व चुनाव हेतु पंजीयन कराने वाले पात्र सदस्य उस राज्य के निर्धारित केन्द्र पर ही साधारण सभा की बैठक व निर्वाचन में भाग ले सकेगें जिस राज्य शाखा के वे सदस्य हैं। किन्तु पंजीकृत सदस्य अपनी राज्य शाखा के निर्धारित केन्द्र के स्थान पर दूसरे राज्य के निर्धारित केन्द्र पर भाग लेने की अनुमति केवल निम्नांकित स्थितियों में होगीः–

.(i) यदि संबंधित सदस्य ने किसी अन्य राज्य में रोजगार प्राप्त कर लिया हो।

.(ii) यदि संबंधित सदस्य ने किसी अन्य राज्य में शिक्षा हेतु प्रवेश लिया हों

यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि यह व्यवस्था वैकल्पिक है और केवल उन्हीं सदस्यों को दूसरे राज्य केंद्रो पर साधारण सभा और निर्वाचन में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाएगी जो इस हेतु आवश्यक सूचना पंजीयन प्रपत्र पर प्रदान करेंगें।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद् के निर्णयानुसार संघ के जो सदस्य साधारण सभा की बैठक एवं निर्वाचन में भाग लेने के इच्छुक होंगे उनको निम्नलिखित शुल्कों का भुगतान करना होगा।

पंजीयन शुल्क

संध की साधारण सभा की बैठक व निर्वाचन में भाग लेने के लिए प्रत्येक सदस्य को निर्धारित पंजीयन प्रपत्र भरना होगा और पंजीयन शुल्क के रूप में 100 रूपये का भुगतान कराना होगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद् के निर्णायानुसार न तो कोई प्रतिनिधि शुल्क लिया जाएगा और न ही रेल किराए का भुगतान किया जाएगा। यह शुल्क नकद डी/डी के रूप में दिनांक 14.5.2023 तक संघ के प्रधान कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात् कोई चेक/ पोस्टल ऑर्डर स्वीकार नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि 14.5.2023 के पश्चात भेजा गया पंजीयन शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।

सहायक

साधारण सभा कि बैठक के किसी भी केंद्र पर किसी भी सहायक को लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी
संघ उन सभी सदस्यों को जिन्होंने संघ की साधारण सभा व निर्वाचन में भाग लेने के लिए आपने आप को पंजीकृत करावाया है और सदस्यता नवीनीकरण शुल्क का भुगतान पंजीयन शुल्क के साथ निर्धारित तिथि अर्थात 14.5.2023 तक कर दिया है उनको निम्नलिखित सुविधांए प्रदान करेगा–
संघ अपने पंजीकृत सदस्यों को दिनांक 17.6.2023 की रात से दिनांक 18.6.2023 की दोपहर तक रहने और खाने की सुविधा प्रदान करेंगा।

17.6.2023 को रात्रिभोज व रहने की व्यवस्था केवल उन लोगों के लिये की जायेगी जो संम्बधित राज्य में साधारण सभा की बैठक के निर्धारित स्थान के लिए शहर / राज्य केद्र के बाहर से हैं और जिन्होंने पंजीयन के समय इस आशय की सूचना उपलब्ध कराई हैं। किन्तु दिल्ली केन्द्र के प्रतिभागी पंजीकृत सदस्यों को 17.6.2023 की रात के भोजन व रहने की सुविधा प्राप्त नहीं होगी।

नाश्ता: 18.6.2023

दोपहर: का भोजन 18.6.2023

कृप्या निम्नलिखित बातों का ध्यानपूर्वक सज्ञांन लें।

1. राष्ट्रीय कार्यालय द्वारा जारी वैध पहचान पत्र के बिना किसी भी सदस्य को साधारण सभा व निर्वाचन केन्द्र के स्थल में अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. किसी भी सदस्य को साधारण सभा स्थल के अंदर फोल्डिंग स्टिक, स्टिक या अन्य कोई वस्तु ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. साधारण सभा में शातिपूर्ण ढंग से भाग लेना सदस्य की जिम्मेदारी है। साधारण सभा की बैठक के कामकाज में किसी भी तरह की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई इस तरह की गतिविधियों

में लिप्त पाया जाता है, तो उसे साधारण सभा से निष्काषित कर दिया जायेंगा और उसके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्रवाई भी प्रारंभ की जा सकती है।

4. सदस्यों से अनुरोध हैं कि वे साधारण सभा की बैठक और चुनाव को सुचारू रूप से चलाने में आयोजकों के साथ सहयोग करें।

सदस्यों से अनुरोध हैं कि वह साधारण सभा में जो प्रश्न पूछना चाहते हैं उसे दिनांक 14.5.2023 तक लिखित रूप से संघ के प्रधान कार्यालय में प्रेषित कर दें। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी प्रश्न साधारण सभा में सम्मलित नहीं किया जाएगा और न ही साधारण सभा की कार्यवाही के दौरान कोई अन्य प्रश्न पूछने की अनुमति होगी । इसी प्रकार सदस्य यदि साधारण सभा के समक्ष कोई प्रस्ताव रखना चाहते हैं वे भी प्रधान कार्यालय को दिनांक 14.5.2023 तक लिखित रूप से प्रेषित कर दें।

चुनावः—

संघ की साधारण सभा अगले पाँच वर्षों के लिए निम्न पदाधिकारियों का चयन करेंगी ।

1. अध्यक्ष (एक पद) केवल दृष्टिबाधित ही योग्य है।
2. उपाध्यक्ष (चार पद) दृष्टिबाधित व दृष्टिवान दोनों योग्य हैं।
   (जिसमें से एक पद महिला उपाध्यक्षा के लिए आरक्षित होगा जिसका दृष्टिबाधित होना आवश्यक हैं।)
3. महासचिव (एक पद) केवल दृष्टिबाधित ही योग्य है।
4. सचिव (चार पद) दृष्टिबाधित व दृष्टिवान दोनों ही योग्य हैं।
   (जिसमें से एक पद युवा सचिव के लिए आरक्षित होगा जिसकी उम्र 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए)
5. कोषाध्यक्ष (एक पद) केवल दृष्टिवान ही योग्य है।
6. राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रतिनिधि दिल्ली राज्य (दो पद) केवल दिल्ली के पंजीकृत सदस्यों दवारा ही चुने जायेगें।

नोटः 1 उक्त पदों के लिए नामांकन पत्रों की वैधता संघ के नियमों में निर्धारित आर्हतओं की पूर्ति पर निर्भर हैं। केवल वहीं सदस्य उक्त पदों के लिए निर्वाचन के पात्र होगें जो संघ के पिछले कम से कम 4 वर्षो से नियमित सदस्य हैं

केवल दृष्टिबाधित सदस्य ही संघ के अध्यक्ष व महासचिव के पद के लिए निर्वाचन के पात्र हैं और उन्हें उक्त पदों के लिए निर्वाचन हेतु वैध नामाकंन संघ के संविधान के अनुच्छेद 15(1) व 15 (3) में वर्णित शर्तों को पूर्ण करना होगा।

उक्त पदों के लिए नामांकन पत्र आंमत्रित किया जाते हैं। किसी भी पद हेतु नामांकन निर्धारित नांमाकन पत्र पर ही किये जा सकते है जो किसी भी कार्य दिवस पर प्रधान कार्यालय अथवा राज्य शाखाओं के कार्यालयों से दिनांक 11.2.2023 से 8.4.2023 तक प्राप्त किये जा सकते है। चूंकि अध्यक्ष और महासचिव के पदों पर नामाकंन हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्याशी के नामांकन का प्रस्ताव देश के भौगालिक 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक

क्षेत्र के राज्य व राज्यों के निर्धारित सदस्य संख्या द्वारा किया जायें और निर्धारित संख्या द्वारा समर्थन किया जायें। अतः उिक्त पदों के लिए सम्बंधित प्रत्याशी को 5 नामांकन पत्रों का एक सेट लेकर प्रत्येक क्षेत्र के प्रस्तावक व समर्थक के साथ पृथक–पृथक प्रेषित करना होगा। देश के प्रत्येक क्षेत्र का विवरण इस प्रकार हैं:–

(1) मध्य क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित होंगें :

छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश , उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश

(2) पूर्वी क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित होंगें:

असम, अरूणाचल प्रदेश, बिहार , झारखंड , मणिपुर , मेघालय , नागालैंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल

(3) उत्तरी क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित होंगें:

चंड़ीगढ, दिल्ली , हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जम्मू और कश्मीर ,पंजाब और राजस्थान

(4) दक्षिणी क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित होंगें:

आंध्र प्रदेश , कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी , तमिलनाडु और तेलंगाना

(5) पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित होंगें:

अंडमान और निकोबार, दादर और नागर हवेली, द्वमन और द्वीव, गोवा , गुजरात, लक्षद्वीप और महाराष्ट्र

नामांकन पत्र के साथ अध्यक्ष, महासचिव व कोषाध्यक्ष हेतु रूपयें 1500/का डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर नांमाकन शुल्क के रूप में देय होगा। जबकि उपाध्यक्ष व सचिव के लिए 1000/रूपये तथा राष्ट्रीय कार्याकारिणी सदस्य दिल्ली हेतु रूपये 700/ का डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर नामांकन शुल्क के रूप में देय होगा। नामाकंन शुल्क के रूप में डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर नेशनल फेडरशन ऑफ दि ब्लाइंड के पक्ष में देय होगा जो नामाकंन पत्र के साथ दिनांक 8.4.2023 सायः 5.30 प्रधान कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए। नामाकंन पत्र युक्त लिफाफे पर अध्यक्ष नामांकन समिति, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ प्लॉट नः 21 सेक्टर 6 एम.बी.रोड पुष्प विहार नई 110017 दिल्ली अंकित होना चाहिए। कृप्या स्मरण रखें कि यदि नामाकंन पत्र उचित रूप से भरा न गया हो या सम्बोधित न किया होगा तो वह निरस्त किया जा सकता है। नामाकंन समिति निर्धारित तिथि तक प्राप्त नामाकंन पत्रों की जांच दिनांक 9.4.2023 अपराहन 3 बजे प्रधान कार्यालय में करेगी।

प्रत्याशियों को यह परमर्श दिया जाता है प्रत्याशी जाँच के समय या तो स्वयं अथवा अपने किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रधान कार्यालय में प्रतिभाग कर सकता हैं। इस हेतु किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा। नामांकन पत्र 10.4.2023 को सायः 5.30 बजे तक वापस लिये जा सकते है। आवश्यकतानुसार सभी पदों अथवा किसी पद / पदों के लिए चुनाव दिनांक 18.6.2023 को निर्धारित राज्य केंद्रों पर प्रातः 8.30 बजे से 1 बजे तक गुप्त मतदान के माध्यम से सम्पन्न किये जायेगें।

निर्धारित राज्य केद्रों पर मतदान के तुरंत पश्चात् मतगणना का कार्य सम्पन्न होगा। प्रत्येक राज्य केद्र के मतगणना का परिणाम दिल्ली केन्द्र पर चुनाव समिति को सूचित किया जायेगा और अध्यक्ष चुनाव समिति सभी राज्य केंद्रों से प्राप्त मतगणना के परिणामो को संकलित कर निर्वाचन परिणामो की घोषणा यथासंभव साधारण सभा की बैठक के अंत में करेगा।

सभी प्रतिभागी सदस्यों को साधारण सभा व निर्वाचन में भाग लेने हेतु पंजीयन प्रपत्र निर्धारित तिथि तक भरकर प्रधान कार्यालय में जमा कराना होगा, जो संघ के प्रधान कार्यालय, शाखा कार्यालयों व ईकाई कार्यालयों से किसी भी कार्यदिवस पर दिनांक 14.5.2023 तक प्राप्त किये जा सकते हैं।

सम्बधित राज्यों के महासचिव ओर राज्य केन्द्र के लिए गठित समिति सदस्यों का दायित्व होगा कि वे प्रधान कार्यालय के निर्देशन में सम्बधित राज्य केन्द्र पर साधारण सभा व निर्वाचन हेतु आवश्यक प्रबंध करें।

इस अधिसूचना की एक–एक मूल प्रति अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर सहित ब्रैल व देवनागरी में रिकार्ड हेतु पृथक से रखी जा रही है।

पंजीयन तिथि के पश्चात् अतिरिक्त आवश्यक सूचनायें पृथक रूप सें पंजीकृत सदस्यों प्रेषित कि जायेगी।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि किसी भी स्थितिदशा में डाक सबंधी व त्रुटि के लिये संघ जिम्मेदार नहीं होगा।

सधन्यवाद

भवदीय

(संतोष कुमार रूंगटा)

महासचिव

S. K. RUNGTA
GENERAL SECRETARY
National Federation of the Blind
Plot No. P-21, Sector-6, M.B. Road
Pushp Vihar, New Delhi-110017